

भारत सरकार  
(जनजातीय कार्य मंत्रालय)

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या †1742

उत्तर देने की तारीख 27.12.2018

**छोटे जनजातियों को संरक्षण**

†1742. श्री राकेश सिन्हा :

क्या जनजातीय कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) कितनी जनजातियों की संख्या दो हजार से कम है और वे किन-किन राज्यों में हैं;

(ख) इन जनजातियों के संरक्षण के लिए क्या-क्या उपाय किये जा रहे हैं; और

(ग) क्या सरकार का इनके संरक्षण के लिए किसी आयोग/समिति का गठन करने का प्रस्ताव है?

## उत्तर

जनजातीय कार्य राज्य मंत्री

(श्री जसवंतसिंह भाभोर)

(क) जनगणना 2011 के अनुसार, राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार अनुसूचित जनजातियां जिनकी जनसंख्या 2000 से कम है, अनुलग्नक में दी गई हैं।

(ख) पूर्वोत्तर सहित सम्पूर्ण देश में जनजातीय समुदायों की सुरक्षा के लिए भारत सरकार ने नागरिक अधिकारों की सुरक्षा अधिनियम, 1955 (1955 का 22) और अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 (1989 का 33) जैसे विभिन्न अधिनियम बनाए हैं।

अनुसूचित जनजातियों में कुछ जनजातीय समुदाय हैं जिनकी घटती हुई अथवा स्थिर जनसंख्या, बहुत ही कम साक्षरता, कृषि-पूर्व स्तर की प्रौद्योगिकी तथा आर्थिक रूप से पिछड़े हैं। 17 राज्यों और 1 संघ राज्यक्षेत्र में 75 ऐसे समूहों को विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों (पीवीटीजी) के रूप में चिह्नित तथा श्रेणीबद्ध किया गया है। अनुसूचित जनजातियों के विकास के लिए इस मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित की जा रही अन्य स्कीमों के अलावा, यह मंत्रालय विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों (पीवीटीजी) के समग्र विकास के लिए 'विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों का विकास' नामक केन्द्रीय क्षेत्र की स्कीम अनन्य रूप से कार्यान्वित कर रहा है। इस स्कीम के तहत राज्य सरकारें अपनी आवश्यकता के आधार पर संरक्षण-सह-विकास (सीसीडी) योजनाएं प्रस्तुत करती हैं। यह स्कीम अत्यंत लचीली है क्योंकि यह प्रत्येक राज्य को उन क्षेत्रों पर ध्यान देने के लिए सक्षम बनाती है जिन्हें वे अपने पीवीटीजी और उनकी पहचान तथा संस्कृति सहित उनके सामाजिक-सांस्कृतिक पर्यावरण के लिए संगत मानते हैं। इस स्कीम के प्रावधानों के अनुसार राज्यों के लिए 100 प्रतिशत सहायता अनुदान उपलब्ध कराए जाते हैं।

(ग) इस मंत्रालय के पास ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

\*\*\*\*\*

अनुसूचित जनजाति (अजजा) राज्य / संघ राज्यक्षेत्र-वार जिनकी जनसंख्या दो हजार से कम है

राज्य/संघ राज्यक्षेत्र	अनुसूचित जनजाति
अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	अंडमानी, चारियार, चारी, कोरा, तबो, बो, येरे, केडे, बर, बलवा, बोजिगियाल, जुवई, कोल
	जारवास
	ओंगे
	सेंटाइनलीस
	शोमपेन्स
आंध्र प्रदेश	भील
	हिल रेड्डी
	कट्टूनायकन
	कोलाई
	रेड्डी धोरा
	रोना, रेन
	धूलिया, पिको, पुटिया (विशाखापट्टनम और विजयनगरम जिलों में)
अरुणाचल प्रदेश	अबोर
	खोवा, बुगुन
	हरुसो
	खोवा
	आदि बोरी
	असिंग
	बागी
	बंगनी
	बोगम
	बोमडो
	बुन मोनपा
	दारूक तंगसा
	डेगरू / तारन मिशमी
	हईसा ताँगा
	हवि तंगसा
	पहाड़ी मिरी
	होतंग ताँगा
	कारका
	तिंगसा
	खामियांग
	कोमकार
	कोरंग तंगसा
लंगकाई ताँगा	
लिबो	
लीची ताँगा	

	लिजू नोक्टे
	लौगिन टंगसा
	लौग्गी टंगसा
	लौगरी ताँगा
	लौगसांग तांगसा
	लोवांग ताँगा
	मेयोर
	मिक्किर
	मिश्मी
	मोरंग टंगसा
	मुक्तुम
	नामसांग ताँगा
	नगीमोंग तांगसा
	लाजू
	नोनोग
	दलभींग
	पैलिबो
	पंचेन मोनपा
	पांगी
	पासी
	फोंग टंगसा
	पोथाई रात
	रामो
	अदिरामो
	रंगाई ताँगा
	रोंगरांग टाँगा
	सँके ताँगा
	सीराम
	सुलुंग बंगनी
	टैगिन बंगनी
	तैसेन तांगसा
	तनगाम
	जुगली
	ताराम
	थाई खामपी
	टुड्डा नोक्टे
	योंगकुक तांगे
	योगली तांगसा
असम (स्वायत्त जिले में)	हाजोंग
	लाखेर
	मैन (ताई बोलना)
	कोई भी मिजो (लुशाई) जनजाति
	पावी
	सिथेग

असम (स्वायत्त जिले को छोड़कर आत्महत्या की स्थिति में)	होजय
	खम्पती
बिहार	बैगा
	बाथूड
	बेदिया
	बिनझिया
	बिरहोर
	बिरजिया
	गोरइत
	हो
	करमाली
	खोंड
	कोरवा
	परहइया
	सौरिया पहाड़िया
	सावर
कवार	
छत्तीसगढ़	और वह
	भील, भिलाला, बरेला, पटेलिया
	भील मीना
	डामोर, डमरिया
	कारकू
	कोलम
	कोरकू, बोपची, मौसी, निहाल, नहूल, बौंडी, बौंडेया
	मवासी
	परजा
	सहरिया, सहरिया, सेहरिया, सेहरिया, सोसिया, सोर
	सौर
	सोनर
दादर एवं नागर हवेली	कठोडी
	नाइकडा या नायक
दमन एवं द्वीप	नाइकडा (तलाविया)
	सिद्दी (नायक)
	वर्ली
गोवा	ढोडिया
	डबला (हलपति)
	नाइकडा (तलाविया)
	सिद्दी (नायक)
	वर्ली
गुजरात	बरदा
	भरवाड़ (एलेच, बारदा और गिर के जंगलों के नेस में)
	पोमला
	तडवी भील, बावरा, वासेव

	पदवी
हिमाचल प्रदेश	जद
	बीटा
	डोम्बा
जम्मू एवं कश्मीर	बेडा
	गारा
	सोम
झारखण्ड	बंजारा
	खोंड
कर्नाटक	आदियान
	बरदा
	बावचा, बम्चा
	चेंचू, चेंचवार
	चौधरा
	डबला, तलाविया, हलपति
	गामित, गमता, गावित, मवची, पदवी, वलवी
	इरूलर
	कम्मारा (दक्षिण कनारा में निरोध और मैसूर जिले के कोल्लेगल तालुक)
	कनियन, कान्यन (मैसूर जिले के कोल्लेगल तालुक में)
	कथोड़ी, कटकरी, ढोर कथोड़ी, ढोर कटकरी, सोन कथोड़ी, सोन कटकरी
	कट्टुनायकन
	कोकना, कोकनी, कुकना
	कोटा
	कोय, भीन कोय, राजकोया
	कुरुमान
	महा मालासार
	मलासर
	मलायेकान्डी
	मलेरू
	पल्लियन
	पानियां
	पटेलिया
	राठवा
	सोलगा
	टोडा
	वर्ली
वितोलिया, कोतवालिया, बड़ोदिया	
केरल	अरंदन, अरदान
	कोच्चुवेलन
	कोरगा
	कुड़िया, मेलाकुडी
	महा मालासार
	मालाकुरवन

	मालायरयार
	पललीयन, पलियान, पलियार, पलियान
	दस कुरुम्बन, जेनु कुरुम्बन
	थचनदान, थचनदान मूपन
	चोलानैकन
	वेत्ता कुरुमान
	माला पनिकर
लक्षद्वीप	लक्कादीव, मिनिकोय और अमिनिदिवी द्वीपों के निवासी जो स्वयं और जिनके माता-पिता दोनों इन द्वीपों में पैदा हुए थे।
मध्य प्रदेश	अंध
	भट्टरा
	भून्जिया
	बिरहुल, बिरहोर
	डामोर, डमरिया
	गदबा, गदबा
	कमार
	कोरकू
	कोध, खोंड, कंध
	कोलम
	कोरवा, कोडकू
	मझवार
	नगेशिया, नगेशिया
	परजा
	सौंटा, सौंटा
सवर, सवर	
महाराष्ट्र	बैगा
	बरदा
	बावचा, बम्चा
	भाइना
	भारिया भूमिया, भुइंहर भूमिया, पंडो
	भट्टरा
	बिरहुल, बिरहोर
	कमार
	खैरवार
	खारिया
	कोध, खोंड, कंध
	कोय, भीन कोय, राजकोया
	नगेशिया, नगेशिया
	परजा
	पोमला
रथावा	
सवर, सवर	
वितोलिया, कोतवालिया, बड़ोदिया	
मणीपुर	अंगामी

	कोइरेंग
	पुरूम
	राल्ते
	सेमा
	सूथे
	ताराव
	खराम
मेघालय	चकमा
	हमार
	लाखेर
	मैन (ताई बोलना)
	पावी
	स्येनतेंग
मिजोरम	डिमासा (कचहरी)
	गारो
	हाजोंग
	खासी और जयंतिया (खासी सिन्टेंग या पन्नार, युद्ध, भोई या लिंगमंगम सहित)
	मैन (ताई बोलना)
	मिकिर
	कोई भी नागा जनजाति
	स्येनतेंग
नागालैण्ड	मिकिर
	काइकड़ाहट
	मैलवेथर
ओडिशा	बैगा
	बिरहोर
	चेंचू
	देसुआ भूमिज
	गांडिया
	घारा
	कोरूआ
	मानकिदी
राजस्थान	कोकना, कोकनी, कुकना
	कोली ढोर, टोकरे कोली, कोल्चा, कोलघा
	पटेलिया
तमिलनाडु	आरानादान
	कादर
	कम्मारा (कन्याकुमारी जिले को छोड़कर और तिरुनेलवेली जिले के शेनकोट्टाह तालुक)
	कोचु वेलन
	कोडा कपुस
	कोरगा
	कोटा (कन्याकुमारी जिले को छोड़कर और तिरुनेलवेली जिले के शेनकोट्टाह तालुक)

	कुड़िया, मेलाकुडी
	महा मालासार
	मलाई अरायण
	मलाई पंडाराम
	मलायेकान्डी
	मन्नान
	मुदुगर, मुडुवन
	मुत्थुवान
	पल्लेयान
त्रिपुरा	भूटिया
	छइमल
	खासिया
	लेपचा
उत्तर प्रदेश	राजी
	परहिया (सोनभद्र जिले में)
	पटारी (सोनभद्र जिले में)
उत्तराखण्ड	राजी
पश्चिम बंगाल	बिरजिया
	चकमा
	हाजांग
	खोंड
	मरू
	परहाइया

स्रोत: जनगणना 2011, भारत के रजिस्ट्रार जनरल,